Roll No	
---------	--

LM-108

Insurance Law

(बीमा विधि)

Master of Law (LLM–12/16) Second Year, Examination, 2017

Time: 3 Hours Max. Marks: 60

Note: This paper is of **sixty** (60) marks containing **three** (03) sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र साठ (60) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'A' contains four (04) long answer type questions of fifteen (15) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए पन्द्रह (15) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

A-28 **P. T. O.**

- Discuss the general principles of Insurance. बीमा के सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए।
- Write a note on the procedure of effecting marine insurance.
 सामुदायिक बीमा को प्रभावी करने की प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए।
- 3. What do you mean by 'Fire Insurance'? What are its essential elements? Explain.'अग्नि बीमा' से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? समझाइये।
- 4. "All insurance contracts are the contract of indemnity." Discuss. Is there any exception to it? "सभी बीमा संविदाएँ क्षतिपूर्ति की संविदाएँ होती हैं।" विवेचना कीजिए। क्या इसका कोई अपवाद है ?

Section-B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (লঘু उत्तरीय प्रश्न)

- **Note:** Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of five (05) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.
- नोट: खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच (05) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
- 1. Explain the essential ingredients of Life Insurance. जीवन बीमा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए।

2. Differentiate between 'Fire Insurance' and 'Life Insurance'.

'अग्नि बीमा' एवं 'जीवन बीमा' के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।

3. 'Insurance contract is not a wagering contract.' Explain.

'बीमा संविदा एक पद्म संविदा नहीं होती है।' व्याख्या कीजिए।

- Write a short note on 'Proximate Cause'.
 'निकटस्थ कारण' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- Discuss the principle of subrogation. स्थानापन्न सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
- 6. What risks are covered by marine insurance policies? Explain.

सामुद्रिक बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत कौन-कौनसे जोखिम आते हैं ? विवेचना कीजिए।

- Write a note on 'Voyage Deviation'.
 'समुद्री यात्रा विचलन' पर एक टिप्पणी लिखिए।
- 8. How are insurance claims settled in case of double insurance? Explain.

दोहरा बीमा की स्थिति में बीमा दावों का निस्तारण कैसे किया जाता है ? समझाइये।

Section-C / खण्ड-ग

(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ट प्रश्न)

Note: Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this section are compulsory.

A-28 P. T. O.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (1) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Indicate whether the following statements are True or False.

इंगित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य।

- The origin and development of insurance is based on the principle of co-operation.
 बीमा का उद्गम एवं विकास सहयोग के सिद्धान्त पर आधारित है।
- On the basis of nature of business, 'social insurance' is not a type of insurance.
 कारोबार की प्रकृति के आधार पर 'सामाजिक बीमा' एक बीमा का प्रकार नहीं है।
- 3. Insurance Law does not forbid 'double insurance'. बीमा विधि 'दोहरे बीमा' का निषिद्ध नहीं करती है।
- Perils of the sea does not include the ordinary action of the winds and waves.
 हवाओं एवं लहरों के सामान्य कृत्य सामुद्रिक जोखिम में सम्मिलित नहीं हैं।
- 5. Insurable interest is sine qua non for a valid contract of insurance.

बीमा की वैध संविदा के लिये बीमा योग्य हित अनिवार्य है।

Indicate the correct answer.

उत्तर के लिये सही विकल्प का चुनाव कीजिए।

- 6. Maritime perils is defined in Maritime Insurance Act under:
 - (a) Section 3(a)

[5] LM-108

- (b) Section 2(a)
- (c) Section 2(e)
- (d) None of the above सामुद्रिक बीमा अधिनियम में सामुद्रिक जोखिम को निम्नलिखित प्रावधान में परिभाषित किया गया है :
- (अ) धारा 3(a)
- (ब) धारा 2(a)
- (स) धारा 2(e)
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 7. Life Insurance business has been defined in Insurance Act under:
 - (a) Section 2(11)
 - (b) Section 2(12)
 - (c) Section 2(13)
 - (d) Section 2(14)

जीवन बीमा व्यवसाय बीमा अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित है:

- (अ) धारा 2(11) के अंतर्गत
- (ब) धारा 2(12) के अंतर्गत
- (स) धारा 2(13) के अंतर्गत
- (द) धारा 2(14) के अंतर्गत
- 8. In fire insurance, the subject-matter of insurance is:
 - (a) Property only
 - (b) Human life only
 - (c) Human life and property
 - (d) None of the above

A-28 P. T. O.

अग्नि बीमा में बीमा की विषय-वस्तु है :

- (अ) केवल सम्पत्ति
- (ब) केवल मानव जीवन
- (स) मानव जीवन व सम्पत्ति
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 9. National Life Insurance Co. *vs.* Weldon is a case related to:
 - (a) Utmost good faith
 - (b) Insurable interest
 - (c) Indemnity
 - (d) All of the above

राष्ट्रीय जीवन बीमा कम्पनी बनाम वैल्डन का वाद निम्नलिखित से सम्बन्धित है:

- (अ) परम सद्भाव से
- (ब) बीमा योग्य हित से
- (स) क्षतिपूर्ति से
- (द) उपर्युक्त सभी
- 10. In Marine Insurance Act, the term 'Warranty' is defined under:
 - (a) Section 34(2)
 - (b) Section 34(3)
 - (c) Section 35(2)
 - (d) Section 35(3)

सामुद्रिक बीमा अधिनियम में 'वारण्टी' (समाश्वासन) शब्द को परिभाषित किया गया है :

- (अ) धारा 34(2) में
- (ब) धारा 34(3) में
- (स) धारा 35(2) में
- (द) धारा 35(3) में

LM-108 200